अति आवश्यक ई–मेल/फैक्स/अपलोड

राजस्थान सरकार

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक एफ 13(10)खा.वि./आवंटन/सहरिया/2014 जयपुर, दिनांक: 04.06.2019

आदेश

विभागीय समसंख्यक आदेश क्रमांक एफ 13(10)खा.वि./आवंटन/सहरिया/2014 दिनांक 16.07.2018 के द्वारा राज्य के अन्त्योदय अन्न योजना में चयनित बारां जिले की सहरिया जनजाति के परिवारों एवं उदयपुर जिले के कथौडी जनजाति परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत 35 कि.ग्रा. गेहूं प्रतिमाह प्रति परिवार निःशुल्क वितरण कराने की स्वीकृति दिनांक 31.03.2019 तक प्रदान की गई थी। उक्त अवधि दिनांक 31.03.2020 तक बढाई जाती है।

बजट घोषणा वर्ष 2018–19 के बिन्दु संख्या–129 की अनुपालना में खैरवा जाति के परिवारों को भी उक्तानुसार सहरिया एवं कथौडी जाति के परिवारों को देय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत 35 कि.ग्रा. गेहूं प्रतिमाह प्रति परिवार निःशुल्क वितरण कराने की स्वीकृति दिनांक 31.03.2020 तक प्रदान की जाती है।

राज्य में बारां जिले के सहरिया जनजाति व खैरवा जाति एवं उदयपुर जिले के कथौडी जनजाति के परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र में निष्कासन (exclusion) के मापदण्ड निम्नानुसार है–

शहरी क्षेत्र निष्कासन (exclusion) श्रेणी (पात्र नहीं)	ग्रामीण क्षेत्र निष्कासन (exclusion) श्रेणी (पात्र नहीं)
1. ऐसे परिवार, जिसका कोई भी एक सदस्य आयकरदाता हो। 2. ऐसे परिवार, जिसका कोई भी एक सदस्य सरकारी/ अर्द्धसरकारी /स्वायत्तशासी संस्थाओं में नियमित कर्मचारी/ अधिकारी हो अथवा 1 लाख रूपये वार्षिक से अधिक पेंशन प्राप्त करता हो। 3. ऐसे परिवार, जिसके किसी भी एक सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो (एक वाणिज्यिक वाहन को छोडकर, जो कि जीविकोपार्जन के उपयोग में आता हो)। 4. नगर निगम/नगर परिषद क्षेत्र में 1000 वर्गफीट से अधिक क्षेत्रफल में निर्मित पक्का आवासीय/व्यवसायिक परिसरधारी परिवार (कच्ची बस्ती छोडकर) 5. नगर पालिका क्षेत्र में 1500 वर्ग फीट से अधिक क्षेत्रफल में निर्मित पक्का आवासीय/व्यावसायिक परिसरधारी परिवार (कच्ची बस्ती को छोडकर) 6. एक लाख रूपये वार्षिक से अधिक आय सीमा वाले परिवार। 7. ऐसे परिवार, जिसके सभी सदस्यों के स्वामित्व में कुल कृषि भूमि लघु कृषक हेतु निर्धारित सीमा से अधिक हो।	1. ऐसे परिवार, जिसका कोई भी एक सदस्य आयकरदाता हो। 2. ऐसे परिवार, जिसका कोई भी एक सदस्य सरकारी/ अर्द्धसरकारी/ स्वायत्तशासी संस्थाओं में नियमित कर्मचारी/ अधिकारी हो अथवा 1 लाख रूपये वार्षिक से अधिक पेंशन प्राप्त करता हो। 3. ऐसे परिवार, जिसके किसी भी एक सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो (ट्रेक्टर एवं एक वाणिज्यिक वाहन को छोडकर, जो कि जीविकोपार्जन के उपयोग में आता हो)। 4. ऐसे परिवार, जिसके सभी सदस्यों के स्वामित्व में कुल कृषि भूमि लघु कृषक हेतु निर्धारित सीमा से अधिक हो। 5. ऐसे परिवार, जिसके सभी सदस्यों की कुल आय एक लाख रूपये वार्षिक से अधिक हो। 6. **ऐसा परिवार जिसके पास ग्रामीण क्षेत्र में 2000 वर्ग फीट से अधिक स्वयं के रिहायश हेतु निर्मित पक्का मकान हो।**

यह आदेश वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 101902030 दिनांक 20.05.2019 के द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के क्रम में जारी किया जाता है।

(रश्मि गुप्ता)
अतिरिक्त खाद्य आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय खाद्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. प्रधान महालेखाकार कार्यालय (लेखा एवं हक), राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, खाद्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, आयुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
6. निजी सचिव, संभागीय आयुक्त, कोटा एवं उदयपुर।
7. निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि0, जयपुर।
9. निजी सचिव, जिला कलक्टर, बांरा एवं उदयपुर।
10. निजी सचिव, शासन संयुक्त सचिव, वित्त (व्यय– I) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. वरिष्ठ निजी सहायक, उपायुक्त (प्रथम), खाद्य विभाग, जयपुर।
12. उप शासन सचिव, वित्त (बजट अनुभाग), राजस्थान, जयपुर।
13. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार, खाद्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
14. जिला रसद अधिकारी, बांरा एवं उदयपुर।
15. जिला प्रबन्धक, राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि0, बांरा एवं उदयपुर।
16. बजट शाखा, खाद्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
17. रक्षा पत्रिका।

उपायुक्त (प्रथम)